तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] श्रीमति निशा डेयी बनाम [illegible] 63/14
	25.06.2018 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम सरदारनगर में पैश हुई। उभयपक्ष पक्षकारान नियत शिविर के दौरान हाजिर नही। विपक्षी कम 23 की लौटकर प्राप्त तामील रिपोट पर लाल मोहम्मद पिता बहादुर खां पिनारा का फौत होना अंकित आया। शिविर में मौजूद मौतबिरान व स्वंय विपक्षी संख्या 23 के पुत्र से पूछे जाने पर उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त विपक्षी संख्या 23 का देहान्त विगत 7 वर्ष पूर्व ही हो चुका है, और यह वादपत्र वादीया द्वारा वर्ष 2014 में पैश किया गया है, इसकी प्रमाणिकता के तौर पर मृतक लाल मोहम्मद के मृत्यु प्रमाण की छायाप्रति वक्त केम्प विपक्षी संख्या 23 के पुत्र ने प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन कियां कि मृतक लाल मोहम्मद पिता बहादुर खां पिनारा को विपक्षी संख्या 23 के स्थान संयोजित कर, न्यायालय श्रीमान को अन्धेरे में रखते हुए, वादीया ने यह वादपत्र कानूनन दृष्टि से दोषयुक्त प्रस्तुत किया गया है, जो कत्ई न्यायालय श्रीमान में चलने योग्न नही होकर, काबिले खारिजी योग्य है। पत्रावली का अध्ययन व परिक्षण किया गया। वादीया द्वारा कारित त्रूटी पत्रावली को देखने से सिद्ध होती है, एंव इस प्रकार की गलती का पुष्टीकरण शिविर में उपस्थित मौतबिरान एंव विपक्षी संख्या 23 के पुत्र के कथनो व प्रस्तुत साक्ष्य के तौर मृत्यु प्रमाणपत्र से होता है, जो कत्ई क्षम्य योग्य नही है। अतः वादीया का वादपत्र, दोषयुक्त/त्रूटीपूर्ण प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।